कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल

द्वितीय तल, हर्षवर्धन शापिंग कॉम्पलेक्स, अवंतीबाई चौराहा, माता मंदिर, भोपाल (म.प्र.)
☎ 0755-4004025 E-Mail :- ddbhopal@mpurban.gov.in

क्र./स.स./स्था-2/दिव्यांगजन पदपूर्ति/2024/1957 भोपाल, दिनांक 04/11/2024

प्रति,

समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद
भोपाल संभाग, भोपाल

विषयः- डब्ल्यू.पी. नम्बर 7275/2019 National Federation of the Blind MP Branch विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

संदर्भः- (1)म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्र. 2459/1607123/2023/18-1 दिनांक 15 जुलाई 2024.

(2) इस कार्यालय का पत्र क्र./संसं/स्था-2/दिव्यांगजन पदपूर्ति/सीधी भर्ती/2024/1335 दिनांक 02.08.2024.

(3) संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./स्था/एक/201/2024/ 21614 दिनांक 10.10.2024.

- // -

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। शासन के संदर्भित पत्र क्र.1 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रीट याचिका क्र. 7275/2019 में पारित किये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नगरीय निकायों में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र क्र. 3 (छायाप्रति संलग्न है) जो कि आप सभी को संबोधित है का अवलोकन करें। उक्त पत्र के द्वारा अभ्यार्थियों की अंक सूची में केवल ग्रेड दिये गये है किन्तु अंक नही दिये गये है उनकी मेरिट सूची कैसे तैयार की जावे बावत मार्गदर्शन दिया गया है।

इसी प्रकार संचालनालय द्वारा जिन अंक सूचियों में ए प्लस ग्रेडिग दी गई है उसके संबंध में मार्गदर्शन जारी किया गया है। यह संज्ञान में आया है कि 5वी की अंक सूचियों में ग्रेडिंग ए से चालू हो रही है जिससे विरोधाभाष की स्थिति बन रही है 5वी की अंक सूची में ग्रेडिंग के अनुसार प्रतिशत निर्धारित करने के मापदण्ड भी दिये गये है जैसे ए ग्रेडिंग 75-100 के बीच प्रतिशत माना जावे ऐसा उदाहरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको मध्य प्रतिशत 87.5 के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जानी चाहिये। जिससे भविष्य में 75 प्रतिशत वाला और 100 प्रतिशत वाला आपत्ति न उठाये।

संचालनालय के दिये गये उपरोक्त मार्गदर्शन अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण कर मेरिट लिस्ट तैयार की जावे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(सुरेश कुमार बेलिया)
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल संभाग भोपाल